न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस.

अपील संख्या: 82 / 2012 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2012 / 00109

1. गगनदीप } पिसरान रणजीत सिंह जाति जटसिख साकिन 8 बी.डी. तहसील
2. अमनदीप } खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. सतनाम सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन 8 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

— **अपीलान्ट्स**

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. सुरेन्दकौर पुत्री कुलदीप सिंह पत्नी संतोक सिंह जाति जटसिख निवासी समेजा कोठी हाल जाति जटसिख साकिन चक 8 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

— **रेस्पोन्डेंट्स**

उपस्थित: श्री कृष्ण बेनीवाल — अभिभाषक अपीलांट
श्री जयचंद लाल सारस्वत — अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2

निर्णय

दिनांक 13.11.2024

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश दिनांक 08.10.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित कृषि भूमि चक 8 बी.डी. तहसील के मुरब्बा नंबर 153 / 55 के किला नंबर 2 ता 9 में 8 बीघा, किला नंबर 11 ता 24 में 14 बीघा तादादी 22 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नं. 153 / 56 के किला नं. 2 व 3 में 2 बीघा कुल तादादी 24 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट्स के दादा कुलदीप सिंह पुत्र ज्ञानसिंह के नाम खातेदारी दर्ज थी। खातेदार कुलदीप सिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत अपने तीनों पोतों क्रमशः सतनाम सिंह पुत्र बलजीत सिंह, गगनदीप सिंह, अमनदीपसिंह पुत्रगण रणजीत सिंह को दिनांक 15.04.2003 को वसीयत कर दी। उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार खाजूवाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2012 की पालना में इंतकाल संख्या 154 दिनांक 08.02.2012 अपीलांट्स के पक्ष में दर्ज हो गया। तहसीलदार खाजूवाला के उक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश दिनांक 04.01.2012 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2012 पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार खाजूवाला को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2012 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज व लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि मृत्तक कुलदीप सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.04.2003 को वादगत भूमि की वसीयत अपीलांट्स के पक्ष में कर दी थी, जो कि उसकी स्वअर्जित भूमि थी। वसीयतकर्ता कुलदीप सिंह की दिनांक 12.07.2011 को मृत्यु हो जाने पर अपीलांट्स ने तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार खाजूवाला ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलांट्स के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज करने के आदेश दिनांक 04.01.2012 को पारित कर दिये। उक्त आदेश दिनांक 04.01.2012 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक एवं कानूनी प्रक्रिया का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि तहसीलदार खाजूवाला ने समस्त कानूनी प्रक्रिया अपनाकर एवं प्रकरण को राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे मानते हए निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा एफआईआर सं. 88/2012 पुलिस थाना खाजूवाला में दर्ज की गई, जिसमें पुलिस द्वारा समस्त कहानी को गलत एवं सारहीन मानते हुए अंतिम परिणाम प्रस्तुत कर दिया, जिसे न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खाजूवाला द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 24.07.2015 को अपने निर्णय में स्पष्ट लिखा कि " इस संबंध में न्यायालय का विश्लेषण है कि पुलिस ने परिवादिया से ही मृत्तक कुलदीप सिंह का राजकीय पहचान पत्र प्राप्त किया है, जिसमें मृत्तक कुलदीप सिंह ने अंगूठा निशानी की है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि मृत्तक कुलदीप सिंह केवल हस्ताक्षर करता हो।" इसप्रकार न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 2 का उक्त प्रकरण में प्रथमदृष्ट्या कोई आधार नहीं माना। उक्त आदेश के विरूद्ध एक निगरानी माननीय सेशन कोर्ट बीकानेर के यहां प्रस्तुत की, जिसमें माननीय न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट खाजूवाला के निर्णय को सही माना। उक्त समस्त तथ्यो से स्पष्ट है कि मृत्तक कुलदीप सिंह द्वारा की गई वसीयत सही एवं

विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2012 निरस्त किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला का आदेश दिनांक 04.01.2012 कायम रखा जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि वादगत वसीयत फर्जी एवं कूटरचित होने के कारण उसके आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का जो आदेश पारित किया गया है वो कतई विधिसम्मत नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता मृत्तक कुलदीप सिंह ने अपने जीवनकाल में किसी भी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी और न ही पंजीकृत करवायी थी। तहसीलदार ने इंतकाल तस्दीक करते समय कुलदीप सिंह के समस्त वारिसान के बाबत किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की और न ही वसीयत के संबंध में कोई जांच की। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2012 यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2012 पारित करते हुए तहसीलदार खाजूवाला द्वारा स्वीकृत इंतकाल दिनांक 08.02.2012 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार खाजूवाला को रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार खाजूवाला का इंतकाल दिनांक 08.10.2012 वसीयत दिनांक 15.04.2003 के आधार पर स्वीकृत हुआ। जब तक अपीलाधीन वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर दर्ज अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2012 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 अपने अधिकारों के संरक्षण बाबत सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/11/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर